तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4473/2005/भरतपुर परसादी बनाम नारानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अयूब खां, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 29.08.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1 वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थी संख्या–1 ने दावा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27–10–1994 को प्रस्तुत किया था, जिसमें तनकियात बना दी गयी थी तथा दावा दिनांक 17–01–2001 को स्वीकार किया था। इस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4473/2005/भरतपुर परसादी बनाम नारानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 8–11–2001 को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या–1 ने दिनांक 24–02–2004 को दावे में संशोधन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जो कि अधीनस्थ न्यायालय में सक्षम नहीं था और ना ही अप्रार्थी संख्या–1 संशोधन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी था। उनका कथन है कि प्रार्थनापत्र के माध्यम से दावे में चाहे गये संशोधन से दावा सम्पूर्ण रूप से बदल जाता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किये जावे। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 0.54है. वाकै ग्राम नागला रामरतन सालिम रकबा वादनी के स्वामित्व व आधिपत्य का है जो पूर्व में वादनी की मां सोमोती के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है, जो सालिम रकबा विरासत में वादनी को प्राप्त हुआ है। दावे की विभिन्न मदों में गलती एवं सहवन से 1/4 हिस्सा गलत टाईप हो गया, जिसकी जगह सालिम नम्बर होना चाहिए, जिसे दुरूस्त कराने हेतु वादी अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से हर्जाने पर स्वीकार किया गया है तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4473/2005/भरतपुर परसादी बनाम नारानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादीगण प्रार्थीगण को संशोधित जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। उनका कथन है कि चाहे गये संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलेगी तथा वाद की विषय वस्तु सरल हो जावेगी। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–01–2001 से डिक्री किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–11–2001 से आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को पुनः दिनांक 16–10–2003 को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। तत्पश्चात् मूल वाद प्रतिवादीगण संख्या–5 व 6 की ओर से जवाबदावा पेश किये जाने के स्तर पर विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या–1 वादिनी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4473/2005/भरतपुर परसादी बनाम नारानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11-01-2005 को प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 0.54है. वाकै ग्राम नागला रामरतन सालिम रकबा वादनी के स्वामित्व व आधिपत्य का है जो पूर्व में वादनी की मां सोमोती के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है, जो सालिम रकबा विरासत में वादनी को प्राप्त हुआ है। दावे की विभिन्न मदों में गलती एवं सहवन से 1/4 हिस्सा गलत टाईप हो गया, जिसकी जगह सालिम नम्बर होना चाहिए। अतः प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर चाहे गये संशोधन की अनुमति प्रदान करावें। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी को 200/रूपये हर्जाने पर स्वीकार संशोधित दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही यदि प्रतिवादी जवाब में संशोधन करना चाहते तो संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत कर सकते है, का आदेश पारित किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अप्रार्थी संख्या-1 ने दावे में सहवन एवं गलती से 1/4 हिस्सा गलती से टाईप हो जाना अंकित करते हुए, इसकी जगह सालिम नम्बर अर्थात् सम्पूर्ण रकबे का संशोधन चाहा गया है, जिसकी अनुमति प्रदान किये जाने से वादपत्र की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित तथ्यों अनुसार उक्त गलती सहवन से त्रुटिवश होना ही प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभी प्रारम्भिक स्तर पर ही विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थनापत्र के माध्यम से वादपत्र में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4473/2005/भरतपुर परसादी बनाम नारानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4473/2005/भरतपुर परसादी बनाम नारानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए